# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर.

क्रमांक :– मु.अ./राआम/2012/110 दिनांक :– 23-7-2012

## कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासों/फ्लेटो के निर्माण के समानान्तर आधारभूत विकास कार्य यथा सड़कों, पार्कों की चारदीवारी, नालियों का निर्माण व वृक्षारोपण आदि कार्यों का सम्पादन नहीं किया जा रहा है एवं आवण्टियों को आवासों/फ्लेट्स के कब्जे हस्तान्तरण के समय तक उक्त विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाते है अथवा अपूर्ण रहते है। इसके फलस्वरूप आवंटियों को आवासों/फ्लेटों के पूर्ण होने के उपरान्त भी भौतिक कब्जे के हस्तान्तरण में विलम्ब होता है एवं आवंटियों को रहवास के लिये उक्त विकास कार्यो की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। कतिपय प्रकरणों में उपरोक्त स्थितियों के मध्येनजर, मण्डल को अनावश्यक न्यायिक वाद की स्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा जन सामान्य में भी मण्डल की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासों/फ्लेटों के निर्माण कार्यों के समानान्तर, आधारभूत विकास कार्यों को त्वरित गति से सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में, निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

1. आवासीय योजनाओं के ले–आऊट–प्लान स्वीकृत होने के पश्चात, एक माह की अवधि में, सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता द्वारा सेक्टोरियल रोड्स एवं आन्तरिक सड़कों के डब्ल्यूबीएम0 कार्य तथा सेक्टोरियल रोड्स पर वृक्षारोपण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिये जावें एवं निरन्तर अनुसरण (Pursuance) कर यथाशीघ्र वांछित स्वीकृति जारी करवाई जानी सुनिश्चित की जावे। इस अवधि के दौरान ही कार्यस्थल का भौतिक निरीक्षण कर, तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव तैयार कर लिये जावें।

2. डब्ल्यूबीएम0 सड़कों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति होते ही तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रस्तुत कर, 15 दिवस में तकनीकी स्वीकृति जारी करवाई जानी सुनिश्चित की जावे। तदन्तर, निविदा आमन्त्रण/स्वीकृति तथा कार्यादेश जारी करने तक की सम्पूर्ण कार्यवाही 60 दिवस में पूर्ण की जावे। इसी अवधि में, आवासों/फ्लेट्स के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव भी तैयार कर लिये जावें।

3. डब्ल्यूबीएम0 सड़कों के कार्य का कार्यादेश जारी होने के तुरन्त बाद, आवासों/फ्लेट्स के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें। सड़कों के कार्य में 'Levelling' हेतु मिट्टी का कार्य होने तक आवासों/फ्लेट्स की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का जारी होना सुनिश्चित किया जावे। इस अवधि के दौरान, कार्यस्थल का भौतिक निरीक्षण कर, आवासों/फ्लेट्स की तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव तैयार कर लिये जावें।

लगातार. ...2

लगातार. ...2

4. आवासों/फ्लेट्स की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होते ही तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें। डब्ल्यूबीएम0 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक सेक्टोरियल रोड्स पर वृक्षारोपण (ट्री–गार्ड्स सहित) कार्य एवं आवासों/फ्लेट्स की तकनीकी स्वीकृति जारी होना, निविदा आमन्त्रण/स्वीकृति तथा कार्यादेश जारी किये जाने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावे।

5. आवासों/फ्लेट्स में प्लिन्थ स्तर तक का कार्य पूर्ण होने तक अन्य विकास कार्यों यथा सेक्टोरियल रोड्स व आन्तरिक सड़कों की रीमेटलिंग/कार्पेटिंग, पार्कों की चारदीवारी व वृक्षारोपण, नाली निर्माण आदि कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करवा ली जावे, तत्पश्चात, नाली निर्माण, आवासीय परिसर व पार्कों की चारदीवारी तथा पार्कों के अन्दर वृक्षारोपण के कार्यों की निविदा आमन्त्रण/स्वीकृति तथा कार्यादेश जारी किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जावे।

6. आवासों/फ्लेट्स का कार्य छत–स्तर तक पूर्ण होने के बाद, नाली निर्माण, आवासीय परिसर व पार्कों की चारदीवारी तथा पार्कों के अन्दर वृक्षारोपण आदि समस्त कार्यों का प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस अवधि में ही सभी सड़कों की रीमेटलिंग व कार्पेटिंग कार्यों की निविदा आमन्त्रण/स्वीकृति तथा कार्यादेश जारी करने सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न कर, आवण्टियों को आवास का कब्जा देने से पूर्व समस्त विकास कार्यों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें तथा इनकी सख्त अनुपालना की जावे।

मुख्य अभियन्ता,
रा0आ0मं0, जयपुर।

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, ——————————————(समस्त).
5. आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0, ——————————————(समस्त).
6. रक्षित पत्रावली।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, रा० आ० मं० जयपुर को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता,